

बोर्ड, अम्बाला कैन्ट। और अन्य (अनिल क्षेत्रपाल, जे.)

अनिल क्षेत्रपाल से पहले, जे.

आई. डी. ए. आर. ए. इस्लाम पानीपत और अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा वक्फ बोर्ड, अंबाला कैन्ट। और

प्रतिवादी

2016 का सीआर No.6269

23 मई, 2018

वक्फ अधिनियम, 1995-धारा 6,7,83 और 85-वक्फ न्यायाधिकरण का क्षेत्राधिकार/दायरा-वादी-याचिकाकर्ताओं ने वक्फ न्यायाधिकरण के समक्ष घोषणा के लिए एक मुकदमा दायर किया-न्यायाधिकरण ने परिसर में याचिका को खारिज कर दिया कि संपत्ति से संबंधित स्वामित्व के सवाल के संबंध में कोई विवाद शामिल नहीं है कि संपत्ति वक्फ है या नहीं, और इसलिए, न्यायाधिकरण के पास अधिकार क्षेत्र नहीं है-धारा 83 में वक्फ या वक्फ संपत्ति से संबंधित किसी भी विवाद, प्रश्न या अन्य मामले के निर्धारण के लिए और किरायेदार को बेदखल करने या पट्टे पर देने वाले और पट्टे पर देने वाले के अधिकारों और दायित्व के निर्धारण के लिए न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान है-इसलिए, वक्फ न्यायाधिकरण का क्षेत्राधिकार केवल उन मामलों तक सीमित नहीं हो सकता है जिनमें यह सवाल शामिल है कि क्या संपत्ति जाग्रत है या नहीं, याचिका खारिज करने का आदेश मंजूर

अभिनिर्धारित, उस विद्वत न्यायाधिकरण ने परिसर में याचिका को खारिज कर दिया कि चूंकि संपत्ति से संबंधित स्वामित्व के सवाल के संबंध में कोई विवाद शामिल नहीं है, चाहे वह संपत्ति वक्फ हो या औक्फ या नहीं, इसलिए न्यायाधिकरण के पास अधिकार क्षेत्र नहीं है।

(पैरा 6)

आगे कहा कि वादी वक्फ बोर्ड की कुछ कार्रवाई को चुनौती देते हैं और अधिकारियों द्वारा की गई कुछ कथित अवैधताओं की ओर इशारा करते हैं।

(पैरा 15)

आगे कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 6 और 7 न्यायाधिकरण की शक्ति से संबंधित हैं। उपरोक्त प्रावधानों को विशेष रूप से पढ़ने पर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायाधिकरण को ऐसी स्थिति में अधिकार क्षेत्र प्राप्त होता है जहां सवाल उठते हैं कि क्या कोई विशेष संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं। हालांकि, खंड 83 में न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान है और उपरोक्त खंड में इस्तेमाल किया गया महत्वपूर्ण शब्द से संबंधित किसी भी विवाद, प्रश्न या अन्य मामले के निर्धारण के लिए" है।

864

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2018(1)

वक्फ या वक्फ संपत्ति "।2013 के अधिनियम No.27 द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 के संशोधन के बाद, जो शब्द जोड़े गए हैं, वे हैं "किसी किरायेदार की बेदखली या ऐसी संपत्ति के पट्टेदार और पट्टेदार के अधिकारों और दायित्व का निर्धारण"। संसद का इरादा वक्फ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करना था।

(पैरा 16)

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता बी. एस. बेदी।

जी. एन. मलिक, अधिवक्ता, प्रतिवादी Nos.1 से 3 के लिए।

कुणाल मुलवानी, आदित्य सिंह के अधिवक्ता, प्रतिवादी Nos.4 से 6 के लिए।

अनिल क्षेत्रपाल, जे।

(1) दलीलें सुनी गईं। फैसला सुरक्षित रखा गया था। फैसला जारी किया जा रहा है।

(2) इस पुनरीक्षण याचिका में जिस मुद्दे का निर्धारण करने की आवश्यकता है, वह यह है कि वक्फ अधिनियम, 1995 के तहत गठित वक्फ न्यायाधिकरण का अधिकार क्षेत्र/दायरा क्या है। क्या यह केवल उन मामलों तक ही सीमित है जहां यह प्रश्न निर्धारित करने की आवश्यकता है कि संपत्ति वक्फ है या नहीं या दूसरे शब्दों में, विवाद यह है कि क्या वक्फ के स्वामित्व का प्रश्न शामिल है या वक्फ न्यायाधिकरण वक्फ या वक्फ संपत्ति से संबंधित किसी भी विवाद, प्रश्न या अन्य मामले की जांच करने का हकदार होगा?

(3) संसद ने वक्फ अधिनियम, 1954 को निरस्त करते हुए वक्फ अधिनियम, 1995 लागू किया। वक्फ अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान, जिनके लिए व्याख्या की आवश्यकता होती है, धारा 6, 7, 83 और 85 में निहित हैं, जो निम्नानुसार निकाले गए हैं:-

“6. (औकाफ़) के बारे में विवाद।— (1) अगर कोई सवाल हो वक्फ संपत्ति में औकाफ़ की सूची में वक्फ संपत्ति के रूप में निर्दिष्ट कोई विशेष संपत्ति या नहीं या ऐसी सूची में निर्दिष्ट वक्फ शिया वक्फ या सुन्नी वक्फ है या नहीं, बोर्ड या वक्फ का मुतवल्ली या कोई व्यथित व्यक्ति प्रश्न के निर्णय के लिए न्यायाधिकरण में मुकदमा दायर कर सकता है और ऐसे मामले के संबंध में न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगा:

बशर्ते कि औकाफ़ की सूची के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के बाद न्यायाधिकरण द्वारा ऐसा कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा।

865

आई. डी. ए. आर. ए. इस्लाम पानीपत और अन्य बनाम हरियाणा वक्फ

बोर्ड, अम्बाला कैन्ट। और अन्य (अनिल क्षेत्रपाल, जे.)

बशर्ते कि खंड 4 की उप-खंड (6) में निहित प्रावधानों के अनुसार दूसरे या बाद के सर्वेक्षण में अधिसूचित ऐसी संपत्तियों के संबंध में न्यायाधिकरण के समक्ष कोई मुकदमा दायर नहीं किया जाएगा।

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, किसी वक्फ के संबंध में इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही पर केवल ऐसे किसी मुकदमे विचाराधीनता होने या ऐसे मुकदमे से उत्पन्न होने मुकदमा किसी अपील या अन्य कार्यवाही के कारण रोक नहीं लगाई जाएगी।

(3) सर्वेक्षण आयुक्त को उप-धारा (1) के तहत किसी भी मुकदमे में मुकदमाकार नहीं बनाया जाएगा और इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के अनुसरण में सद्भावना से की गई या करने का इरादा रखने वाली किसी भी चीज़ के संबंध में उसके खिलाफ कोई मुकदमा, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं होगी।

(4) औकाफ़ की सूची, जब तक कि इसे किसी निर्णय या उप-धारा (1) के तहत न्यायाधिकरण के अनुसरण में संशोधित नहीं किया जाता है, अंतिम और निर्णायक होगी।

(5) किसी राज्य में इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर और उसके बाद से, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी प्रश्न के संबंध में उस राज्य के न्यायालय में कोई मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही शुरू या शुरू नहीं की जाएगी।

7. संबंधित विवादों को निर्धारित करने के लिए न्यायाधिकरण की शक्ति

(औकाफ़)-(1) यदि इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद कोई प्रश्न या विवाद उत्पन्न होता है कि औकाफ़ की सूची में वक्फ़ संपत्ति के रूप में निर्दिष्ट कोई विशेष संपत्ति वक्फ़ संपत्ति है या नहीं, या ऐसी सूची में निर्दिष्ट कोई वक्फ़ शिया वक्फ़ या सुन्नी वक्फ़ है या नहीं, तो बोर्ड या वक्फ़ का मुतवल्ली (या खंड 5 के तहत औकाफ़ की सूची के प्रकाशन से व्यथित कोई व्यक्ति) ऐसी संपत्ति के संबंध में अधिकार क्षेत्र वाले न्यायाधिकरण को प्रश्न के निर्णय के लिए आवेदन कर सकता है और उस पर न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगा:

बशर्ते कि -

(क) राज्य के किसी भी भाग से संबंधित और इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद प्रकाशित औकाफ़ की सूची के मामले में औकाफ़ की सूची के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के बाद ऐसा कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा; और

(ख) राज्य के किसी भी भाग से संबंधित औकाफ़ की सूची के मामले में और एक वर्ष की अवधि के भीतर किसी भी समय प्रकाशित किया जाएगा।

866

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2018(1)

इस अधिनियम के प्रारंभ से तुरंत पहले, ऐसे आवेदन पर ऐसे प्रारंभ से एक वर्ष की अवधि के भीतर न्यायाधिकरण द्वारा विचार किया जा सकता है:

बमुकदमाे कि जहां ऐसे किसी प्रश्न की सुनवाई की गई हो और अंत में सिविल न्यायालय द्वारा ऐसे प्रारंभ से पहले स्थापित मुकदमे में निर्णय लिया गया हो, वहां न्यायाधिकरण ऐसे प्रश्न को फिर से नहीं खोलेगा।

(2) सिवाय इसके कि जहां उप-मुकदमा (5) के प्रावधानों के कारण न्यायाधिकरण की कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, किसी भी वक्फ के संबंध में इस मुकदमा के तहत किसी भी कार्यवाही पर किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण द्वारा केवल किसी ऐसे मुकदमे, आवेदन या अपील या किसी ऐसे मुकदमे, आवेदन, अपील या अन्य कार्यवाही से उत्पन्न होने वाली अन्य कार्यवाही विचाराधीनता होने के कारण रोक नहीं लगाई जाएगी।

(3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी को उप-धारा (1) के तहत किसी भी आवेदन में पक्षकार नहीं बनाया जाएगा।

(4) औकाफ़ की सूची और जहाँ ऐसी किसी सूची को उप-धारा (1) के तहत न्यायाधिकरण के निर्णय के अनुसरण में संशोधित किया जाता है, तो इस प्रकार संशोधित सूची अंतिम होगी।

(5) न्यायाधिकरण को किसी ऐसे मामले को निर्धारित करने की अधिकार क्षेत्र नहीं होगी जो इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले मुकदमा 6 की उप-मुकदमा (1) के तहत किसी दीवानी न्यायालय में स्थापित या शुरू किए गए किसी मुकदमे या कार्यवाही का विषय है या जो किसी ऐसे मुकदमे या कार्यवाही में ऐसे प्रारंभ से पहले पारित डिक्री से किसी अपील का विषय है या ऐसे मुकदमे, कार्यवाही या अपील से उत्पन्न होने वाले संशोधन या समीक्षा के लिए किसी आवेदन का विषय है।

{(6) न्यायाधिकरण के पास वक्फ संपत्ति पर अनधिकृत कब्जे से हुए नुकसान का आकलन करने और वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जे के लिए ऐसे अनधिकृत कब्जाधारियों को दंडित करने और कलेक्टर द्वारा से भूमि राजस्व अवशिष्ट के रूप में नुकसान की वसूली करने की शक्तियां होंगी: बशर्ते कि जो कोई भी लोक सेवक होने के नाते अतिक्रमण को रोकने या हटाने के अपने वैध कर्तव्य में विफल रहता है, वह दोषी ठहराए जाने पर जुर्माने से दंडनीय होगा जो ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए पंद्रह हजार रुपये तक हो सकता है।

83. न्यायालयों आदि का गठन-

867

आई. डी. ए. आर. ए. इस्लाम पानीपत और अन्य बनाम हरियाणा वक्फ बोर्ड, अम्बाला कैन्ट। और अन्य (अनिल क्षेत्रपाल, जे.)

(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के तहत किसी वक्फ या वक्फ संपत्ति को बेदखल करने या ऐसी संपत्ति के पट्टेदार और पट्टेदार के अधिकारों और दायित्वों के निर्धारण से संबंधित किसी भी विवाद, प्रश्न या अन्य मामले के निर्धारण के लिए, जितने उचित समझे उतने न्यायालयों का गठन करेगी और ऐसे न्यायालयों की स्थानीय सीमाओं और अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करेगी।

(2) वक्फ में रुचि रखने वाला कोई भी मुतवल्ली व्यक्ति या इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत दिए गए आदेश से व्यथित कोई अन्य व्यक्ति इस अधिनियम में निर्दिष्ट समय के भीतर या जहां ऐसा कोई समय निर्दिष्ट नहीं किया

गया है, ऐसे समय के भीतर जो निर्धारित किया जाए, वक्फ से संबंधित किसी भी विवाद, प्रश्न या अन्य मामले के निर्धारण के लिए न्यायाधिकरण को आवेदन कर सकता है।

(3) जहां उप-धारा (1) के तहत किया गया कोई आवेदन किसी वक्फ संपत्ति से संबंधित है जो दो या दो से अधिक न्यायालयों की अधिकारिता की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर आती है, वहां ऐसा आवेदन उस न्यायालय को किया जा सकता है जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर मुतवल्ली या वक्फ के मुतवल्ली में से कोई एक वास्तव में और स्वेच्छा से रहता है, व्यवसाय करता है या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है, और जहां ऐसा कोई आवेदन उपरोक्त न्यायालय को किया जाता है, तो अधिकार क्षेत्र वाले अन्य न्यायालय या न्यायालय ऐसे विवाद, प्रश्न या अन्य मामले के निर्धारण के लिए किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं करेंगे:

बशर्ते कि राज्य सरकार, यदि यह राय है कि वक्फ या वक्फ या वक्फ संपत्ति में रुचि रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति के हित में, विवाद, प्रश्न या ऐसी वक्फ या वक्फ संपत्ति से संबंधित अन्य मामले के निर्धारण के लिए अधिकार क्षेत्र वाले किसी अन्य न्यायाधीशाधिकरण को ऐसे आवेदन को हस्तांतरित करना समीचीन है, तो ऐसे आवेदन को अधिकार क्षेत्र वाले किसी अन्य न्यायाधीशाधिकरण को स्थानांतरित कर सकती है, और ऐसे हस्तांतरण पर, जिस न्यायाधीशाधिकरण को आवेदन इस प्रकार हस्तांतरित किया गया है, वह उस न्यायाधीशाधिकरण के समक्ष उस चरण से आवेदन पर विचार करेगा जो उस न्यायाधीशाधिकरण के समक्ष पहुंचा था, जहां से आवेदन को इस तरह स्थानांतरित किया गया है, सिवाय इसके कि जहां न्यायाधीशाधिकरण की राय है कि आवेदन से नए सिरे से निपटना न्यायाधीश के हित में आवश्यक है।

(4) प्रत्येक न्यायाधिकरण में लोग शामिल होंगे।

क) एक व्यक्ति, जो राज्य न्यायिक सेवा का सदस्य होगा, जो जिला, सत्र या सिविल न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी से कम का पद धारण नहीं करेगा, जो अध्यक्ष होगा;

ख) एक व्यक्ति, जो राज्य सिविल सेवा से अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सदस्य के समकक्ष रैंक का अधिकारी होगा;

ग) मुस्लिम कानून और न्यायशास्त्र का ज्ञान रखने वाला एक व्यक्ति, सदस्य;

और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की नियुक्ति नाम से या पदनाम से की जा सकती है।

(4क) पदेन सदस्यों के रूप में नियुक्त व्यक्तियों के अलावा अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को देय वेतन और भत्तों सहित नियुक्ति के नियम और शर्तें ऐसी होंगी जो निर्धारित की जाएं।

(5) न्यायाधिकरण को एक दीवानी न्यायालय माना जाएगा और उसके पास मुकदमा शक्तियां होंगी जो दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5) के तहत दीवानी न्यायालय द्वारा किसी मुकदमे की सुनवाई करते समय या किसी डिक्री या आदेश को निष्पादित करते समय प्रयोग की जा सकती हैं।

(6) सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, न्यायाधिकरण ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा जो निर्धारित की जाए।

(7) न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगा और आवेदन के पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होगा और इसमें दीवानी अदालत द्वारा की गई डिक्री का बल होगा।

(8) न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय का निष्पादन उस दीवानी अदालत द्वारा किया जाएगा जिसे ऐसा निर्णय दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के प्रावधानों के अनुसार निष्पादन के लिए भेजा जाता है।

(2) न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए या दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी, चाहे वह अंतरिम हो या अन्यथा: बशर्ते कि कोई उच्च न्यायालय अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या बोर्ड या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर, किसी भी विवाद, प्रश्न या अन्य मामले से संबंधित अभिलेखों की मांग और जांच कर सकता है जो ऐसे निर्धारण की शुद्धता, वैधता या औचित्य के बारे में खुद को संतुष्ट

करने के उद्देश्य से न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया है और ऐसे निर्धारण की पुष्टि, उलट या संशोधन कर सकता है या ऐसा अन्य आदेश पारित कर सकता है जैसा कि वह आई. डी. ए. आर. ए. आई. एस. एल. ए. एम. पानीपत और अन्य बनाम हरियाणा वक्फ है।

869

बोर्ड, अम्बाला कैन्ट। और अन्य (अनिल क्षेत्रपाल, जे.)

उचित लग सकता है।

85. दीवानी न्यायालयों की अधिकार क्षेत्र का बार।—कोई मुकदमा या अन्य नहीं किसी भी वक्फ, वक्फ संपत्ति या अन्य मामले से संबंधित किसी भी विवाद, प्रश्न या अन्य मामले के संबंध में किसी भी दीवानी अदालत, राजस्व अदालत और किसी अन्य प्राधिकरण में कानूनी कार्यवाही होगी जो इस अधिनियम द्वारा या उसके तहत एक न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए।”

(4) वर्तमान मामले में, वादी-याचिकाकर्ताओं ने वक्फ न्यायाधिकरण के समक्ष घोषणा के लिए मुकदमा दायर किया। वक्फ ट्रिब्यूनल ने निम्नलिखित शब्दों में शिकायत में किए गए दावों पर ध्यान दिया है:-

“वादी ने इस प्रभाव की घोषणा के लिए मुकदमा दायर किया कि 2965 वर्ग गज की भूमि के आवंटन के संबंध में पत्र No.24 लीज-F54P/2045 दिनांक 2.6.1965, जिसमें खसरा संख्या 1993/1 शामिल है, रुपये के मासिक किराए पर पट्टे पर। 50/- पंजाब वक्फ बोर्ड के सचिव द्वारा जारी अस्थायी निर्माण के लिए 11 महीने की अवधि के लिए, अंबाला कैन्ट अवैध है, तथ्यों के खिलाफ और अधिकार क्षेत्र के बिना और सर्वशक्तिमान ईश्वर के स्वामित्व अधिकारों पर अप्रभावी है और तत्कालीन पंजाब वक्फ बोर्ड और वादी सहित बड़े पैमाने पर मुस्लिम समुदाय के प्रबंधन और नियंत्रण में है और मुस्लिम समुदाय पर बाध्यकारी नहीं है। इसी तरह, श्री द्वारा निष्पादित 26.6.1965 दिनांकित किराया ध्यान दें। जहूर अहमद किराया नियंत्रक, रेवाड़ी ने तत्कालीन पंजाब वक्फ बोर्ड

की ओर से ओम प्रकाश सांघी आदि के पक्ष में याचिका दायर की थी, जो सर्वशक्तिमान ईश्वर और वादी सहित बड़े पैमाने पर मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर अवैध, अमान्य और अप्रभावी है। इसी तरह, पंजाब वक्फ बोर्ड के शाहिद अनीश संपत्ति अधिकारी के पक्ष में ओम प्रकाश सांघी और अन्य लोगों द्वारा विलेख संख्या 766 दिनांकित 29.7.1971 के माध्यम से पंजीकृत 29.7.1971 का किराया ध्यान दें जाली, मनगढ़ंत है और शाहिद अनीश और पंजाब वक्फ बोर्ड के अधिकारियों के साथ मिलीभगत से बनाया गया है और वही 29.7.1971 का किराया ध्यान दें अधिकार क्षेत्र के बिना, अवैध और अमान्य है और वक्फ से संबंधित कानून के खिलाफ है और सर्वशक्तिमान ईश्वर, पंजाब वक्फ बोर्ड, अब हरियाणा वक्फ बोर्ड, वादी सहित बड़े पैमाने पर मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर बाध्यकारी नहीं है। आगे समझौता विलेख दिनांक 27.5.1971 और दीवानी मुकदमा सं. 4.8.1969 पर स्थापित FAO 326/596 ने 27.5.1971 पर निर्णय लिया, जिसका शीर्षक था ओम प्रकाश सांघी और अन्य बनाम। एम. सी. नारनौल और पंजाब

वक्फ बोर्ड, तत्कालीन पंजाब वक्फ बोर्ड के अधिकारियों के कुप्रबंधन और प्रतिवादियों और मुस्लिम सामुदायिक अधिकारियों की मिलीभगत का परिणाम है। इसके अलावा, 20.11.1975 पर स्थापित 1975 का मुकदमा संख्या 397 ने 15.6.1978 पर निर्णय लिया, जिसका शीर्षक था ओम प्रकाश और अन्य बनाम। पी. डब्ल्यू. बी. और अन्य 2965 एस. आई. की भूमि के संबंध में, जिसमें खसरा सं. 1993/1 शामिल है, जिसका निर्णय पट्टा समिति की सिफारिश पर दिनांकित 1.6.1978 द्वारा पारित समझौते के आधार पर किया गया है, जिसका प्रस्ताव सं. 3 दिनांकित 31.5.1978 के माध्यम से सर्वशक्तिमान ईश्वर और वादी सहित सामान्य रूप से मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर अवैध और अमान्य और अप्रभावी है और यह श्री के बीच धोखाधड़ी, गलत प्रतिनिधित्व और मिलीभगत का परिणाम है। ओम प्रकाश सांघी और अन्य और तत्कालीन पीडब्ल्यूबी के अधिकारी। इसके अलावा, वक्फ संपत्ति को पट्टे पर देना और कब्रिस्तान की भूमि पर स्थायी निर्माण की अनुमति

देना भी अवैध और अधिकार क्षेत्र के बिना है। इसके अलावा किरायेदारी को रद्द करने और मुसद्दी लाल, ओम प्रकाश और कालू राम की किरायेदारी को समाप्त करने के लिए अपने अधिवक्ता द्वारा से जारी किए गए नोटिस से समझौता करने की अनुमति के संबंध में पत्र संख्या 2248 दिनांक 29.2.1980 द्वारा से नोटिस को वापस लेना और उन्हें 31.12.1979 पर भूमि का कब्जा सौंपने का निर्देश देना भी अवैध है, बिना अधिकार क्षेत्र के। ओम प्रकाश और अन्य बनाम पीडब्ल्यूबी के मामले में 5.4.1980 का निर्णय और डिक्री भी अमान्य है और यह सर्वशक्तिमान ईश्वर और वादी के अधिकारों और मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावना पर अप्रभावी है। यह भी कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 4 के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की राहत में मांग की गई है कि उसे अवैध पट्टा आदेश, किराया ध्यान दें और पंजीकृत किराया ध्यान दें आदि की आड़ में कथित उप-किरायेदारों से किराया वसूलने से रोका जाए। यह भी कहा जाता है कि वादी पंजीकृत निकाय हैं और बड़े पैमाने पर मुस्लिम समुदाय के लाभ और कल्याण के लिए काम करते हैं और मुस्लिम वक्फ संपत्ति और अन्य संपत्ति की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। प्राचीन काल से, खसरा No.1993 पिछली खसरा संख्या 4089 में शामिल भूमि का उपयोग मुस्लिम समुदाय द्वारा धार्मिक और पवित्र उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। वे अपने शवों को दफना देते थे और जमीन सर्वशक्तिमान ईश्वर में निहित होती थी। वर्ष 1932 बी. के. और 1971-72 बी. के. के लिए जामबंदी में भूमि को कब्रिस्तान वाला के रूप में वर्णित किया गया है।

871

आइडारा इस्लाम पानीपत और अन्य बनाम हरियाणा वक्फ

बोर्ड, अम्बाला कैन्ट। और अन्य (अनिल क्षेत्रपाल, जे.)

देश के विभाजन के बाद, खसरा सं. 1993 में शामिल भूमि भारत सरकार के संरक्षक विभाग में निहित थी और अभिलेखों के अनुसार कब्रिस्तान की भूमि बनी रही। नारनौल रेवाड़ी सड़क को तराशने के बाद, खसरा संख्या 1993 में शामिल भूमि को न्यूनतम संख्या यानी 1993/1 और 1993/2 मिनट में विभाजित किया गया था। फाइल नं. 3 योजना नारनौल रेवाड़ी रोड ने 23.12.1957 पर निर्णय लिया और फाइल के साथ तैयार की गई फील्ड बुक और साजरा अक्स के अनुसार, नारनौल

रेवाड़ी रोड के निर्माण के उद्देश्य से 1 बिसवा मापने वाली भूमि का अधिग्रहण किया गया था और 1 बीघा 11 बिसवा मापने वाली शेष भूमि को कब्रिस्तान की भूमि होने के नाते छोड़ दिया गया था, इस प्रकार 1 बिसवा मापने वाली भूमि खसरा नं. 1993/1 पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर) और 1 बीघा 11 बिसवा मापने वाली भूमि खसरा नं. <ID2 के साथ बनी रही। ओम प्रकाश सांघी, एस. राधे श्याम, एस. कालू राम, एस. मुसद्दी लाल, एस. सोहन लाल ने सर्वशक्तिमान ईश्वर में निहित भूमि को हड़पने के लिए एक आपराधिक साजिश रची और पी. डब्ल्यू. बी., अब एच. डब्ल्यू. बी. द्वारा प्रबंधित और नियंत्रित किया गया, जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर मुसलमान आदेश रहे थे। ओम प्रकाश सांघी आदि ने राजस्व अधिकारियों, नगर निगम के अधिकारियों, बोर्ड के अधिकारियों के साथ मिलकर सबसे पहले राजस्व रिकॉर्ड को बदल दिया और 1 बीघा 12 बिसवा को 1993/1, 1 बीघा और 1993/2 को 0-12 बिसवा मापने के लिए खसरा संख्या 1993 के संबंध में प्रविष्टियां प्राप्त कीं जो गलत और धोखाधड़ीपूर्ण तरीके से है। एस. ओम प्रकाश सांघी आदि सचिव पीडब्ल्यूबी, अंबाला कैंट से पत्र संख्या 24/पट्टा-एफ-54पी/205 दिनांकित 2.6.1965 और भूमि धारक खसरा संख्या 1993/1 2965 एस. आई. प्राप्त करने में सफल रहे। श्री को पट्टे पर आवंटित किया गया। ओम प्रकाश सांघी आदि अस्थायी निर्माण के लिए 11 महीने की अवधि के लिए आवंटन आदेश की आड़ में श्री. जाहुर अहमद किराया नियंत्रक, रेवाड़ी ने ओम प्रकाश सांघी आदि के मुकदमा में 26.6.1965 दिनांकित एक किराया ध्यान दें निष्पादित किया। यह भी कहा जाता है कि ओम प्रकाश आदि ने अपने कलेक्टर द्वारा से पीडब्ल्यूबी के साथ मिलकर एक दीवानी मुकदमा नं. आई. डी. 2 पर स्थापित एफ. ए. ओ.-326/598 ने पर यह घोषणा करने का निर्णय लिया कि एम. सी. द्वारा स्थापित पी. डब्ल्यू. बी., अंबाला कैंट और खोखा की भूमि खसरा नं. 1993/1 है, गलत और अवैध है। उक्त मुकदमे से 27.5.1971 पर समझौता किया गया था और तदनुसार पीडब्ल्यूबी और एमसी, नारनौल की मुकदमा से फैसला सुनाया गया था। उक्त सिविल मुकदमे में 27.5.201971 को समझौता किया गया था और पीडब्ल्यूबी और एमसी, नारनौल की मिलीभगत से तदनुसार फैसला सुनाया गया था। यह भी कहा जाता है कि खसरा नंबर 1993/1 पर अवैध

कब्जा बरकरार रखने के लिए ओम प्रकाश सांघी आदि ने सिविल सूट नंबर 387/1974 दायर किया, जिसका 15.6.1978

872

2018(1)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

15.6.1978 यह घोषणा करने के लिए कि वे 2965 एस. आई. मापने वाली भूमि पर पी. डब्ल्यू. बी. के किरायेदार हैं। इस मुकदमे से तत्कालीन सचिव पीडब्ल्यूबी, अंबाला कैंट की मुकदमा से भी समझौता किया गया था। इस समझौते के लिए, बोर्ड ने मुकदमा समिति की सिफारिश पर एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें प्रस्ताव संख्या 3 दिनांकित 31.5.1978 के माध्यम से कहा गया कि ओम प्रकाश सांघी आदि 2 करोड़ रुपये का भुगतान करेंगे। 150/- मुकदमे दायर करने की तारीख से मासिक किराए के रूप में अर्थात् 20.11.1995 और वे पट्टे पर दिए गए परिसर को उप-मुकदमा देने के हकदार होंगे। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने जमीन को खाली कर दिया और ज़मीन खसरा नं. 1993/1 पर प्रति माह लाखों रुपये कमाना शुरू कर दिया। जिस पर, पीडब्ल्यूबी ने उन व्यक्तियों को आवंटन की प्रक्रिया शुरू की, जिनके पास ओम प्रकाश सांघी और अन्य के कथित उप-अध्येता के रूप में संपत्ति थी। ओम प्रकाश सांघी आदि ने पीडब्ल्यूबी के खिलाफ यह घोषणा करने के लिए एक दीवानी मुकदमा दायर किया कि वे पीडब्ल्यूबी के तहत किरायेदार हैं और प्रतिवादी बोर्ड को उनके अधिकारों और कब्जे में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। उस मुकदमे का जवाब प्रतिवादी बोर्ड द्वारा ओम प्रकाश आदि के आरोपों से इनकार करते हुए दायर किया गया था। बोर्ड और उसके अधिकारियों की मिलीभगत से, मुकदमे में समझौता किया गया था कि वे किराया रु। मुकदमा की संस्था से 150/- प्रति माह, रु। 360/- मुकदमे की लागत के रूप में और वे पट्टे पर दिए गए परिसर को खाली करने के हकदार होंगे। ओम प्रकाश सांघी, राम शरण दास सांघी और कालू राम के कानूनी उत्तराधिकारी अपने उप-किरायेदार द्वारा से संपत्ति के अवैध कब्जे में हैं। मुसद्दी लाल भी अवैध कब्जे में है। सचिव पीडब्ल्यूबी अंबाला कैंट ने अपने अधिवक्ता दिनांक 7.12.2019 द्वारा से मुसादी लाल, ओम प्रकाश और कालू की किरायेदारी को समाप्त करने और उन्हें 31

दिसंबर, 1979 को भूमि का कब्जा सौंपने का निर्देश देते हुए नोटिस जारी किया। उन्होंने प्रतिवादियों को कब्जे में हस्तक्षेप करने और किरायेदारी को रद्द करने और किसी अन्य व्यक्ति को संपत्ति को पट्टे पर देने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा के लिए दिनांक 691 दिनांकित 18.12.1979 एक दीवानी मुकदमा दायर किया। उक्त मुकदमे में, कोई जवाब दायर नहीं किया गया था और बोर्ड के सचिव ने किरायेदारी को रद्द करने के संबंध में नोटिस वापस ले लिया और मुकदमे से मुकदमा करने की अनुमति दी। मुकदमा वापस लेने की उक्त अनुमति और सचिव पीडब्ल्यूबी द्वारा नोटिस वापस लेना अवैध है, बिना अधिकार क्षेत्र के। ओम प्रकाश और अन्य बनाम पंजाब वक्फ बोर्ड के रूप में दिनांकित 5.4.1980 का निर्णय और डिक्री भी ईश्वर इंदार इस्लाम पानीपत और अन्य बनाम हरियाणा वक्फ के अधिकारों पर अमान्य और अप्रभावी है।

873

आइडारा इस्लाम पानीपत और अन्य बनाम हरियाणा वक्फ

बोर्ड, अम्बाला कैन्ट। और अन्य (अनिल क्षेत्रपाल, जे.)

सर्वशक्तिमान। यह न्यायाधीश के हित में है कि मुसद्दी लाल, ओम प्रकाश सांघी और कालू राम और उनके उत्तराधिकारी के पक्ष में किरायेदारी को मुस्लिम समुदाय के हित में रद्द कर दिया जाए।”

(5) मुकदमे को प्रतिमुकदमी Nos.1 से 3 द्वारा लड़ा गया था, हालांकि, कोई मुद्दा नहीं बनाया गया था कि संपत्ति वक्फ है या नहीं।

(6) विद्वान न्यायाधिकरण ने परिसर में याचिका को खारिज कर दिया कि चूंकि संपत्ति से संबंधित स्वामित्व के सवाल के संबंध में कोई विवाद शामिल नहीं है, चाहे वह संपत्ति वक्फ हो या औकफ, इसलिए न्यायाधिकरण के पास अधिकार क्षेत्र नहीं है। इस आदेश को इस अदालत में चुनौती दी गई है।

(7) याचिकाकर्ताओं-वादियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 6,7,83 और 85 के सह-संयुक्त अध्ययन पर, न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र को एक प्रतिबंधात्मक/संकीर्ण अर्थ नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि वक्फ अधिनियम, 1995 की खंड 83, जो यह प्रावधान करती है कि न्यायाधिकरण के गठन को पूर्ण अर्थ और प्रभाव दिया जाना चाहिए जिसमें उपयोग किए गए शब्द "किसी भी विवाद, प्रश्न या वक्फ या वक्फ संपत्ति से संबंधित अन्य मामले" के हैं। उन्होंने आगे कहा कि 2013 के अधिनियम No.27 के अनुसार, वक्फ अधिनियम, 1995 में और संशोधन किया गया है और यहां तक कि किसी किरायेदार की बेदखली या कम और पट्टेदार के अधिकारों और दायित्व के निर्धारण को भी वक्फ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में शामिल किया गया है। उन्होंने आगे कहा है कि खंड 6 और 7 में किए गए प्रावधानों को अधिनियम की खंड 83 में किए गए प्रावधानों से अलग नहीं पढ़ा जा सकता है। उन्होंने वक्फ अधिनियम की खंड 85 में संशोधन करने के लिए भी न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें न केवल दीवानी न्यायालय बल्कि राजस्व न्यायालय और किसी भी वक्फ, वक्फ न्यायाधिकरण या अन्य मामले से संबंधित किसी भी विवाद, प्रश्न या अन्य मामले के संबंध में किसी अन्य प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र को प्रतिबंधित कर दिया गया है, जो वक्फ अधिनियम द्वारा या उसके तहत न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाना आवश्यक है।

(8) दूसरी ओर, वक्फ बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता के तर्क का समर्थन किया है और प्रस्तुत किया है कि चुनौती के तहत निर्णय गलत है और न्यायाधिकरण ने वक्फ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र को संकीर्ण रूप से समझने में त्रुटि की है।

(9) निजी प्रतिवादी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि वक्फ अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या माननीय द्वारा की गई है **फ़सीला एम. बनाम मुन्नरुल इस्लाम मदरसा में उच्चतम**

न्यायालय समिति और अन्य 1, यह तर्क देने के लिए कि विद्वान वक्फ न्यायाधिकरण का दृष्टिकोण सही है और इसलिए, इस न्यायालय को आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

(10) आइए हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का विश्लेषण करें।

फसीमा एम. मामले (सुप्रा) में न्यायालय।

(11) उपरोक्त मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय एक ऐसी स्थिति से निपट रहा था जब वक्फ संपत्ति से संबंधित मकान मालिक द्वारा एक किरायेदार को बेदखल करने की याचिका वक्फ न्यायाधिकरण के समक्ष दायर की गई थी। निर्णय के पैरा 9 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस प्रश्न को समाप्त कर दिया जिसके निर्धारण की आवश्यकता है, जिसे निम्नानुसार निकाला गया है:-

“9. इन अपीलों में निर्धारण के लिए सवाल यह है कि क्या वक्फ संपत्ति से संबंधित किरायेदार के खिलाफ मकान मालिक द्वारा बेदखली का मुकदमा दीवानी अदालत द्वारा सुनवाई योग्य है या मुकदमा वक्फ न्यायाधिकरण के अनन्य अधिकार क्षेत्र में है।”

(12) इसके बाद, माननीय उच्चतम न्यायालय ने रमेश गोबिंदराम (मृत) के मामले में पारित निर्णय पर भरोसा करते हुए

एल. आर. बनाम सुग्रा हुमायूं मिर्जा वक्फ 2 द्वारा से, यह माना गया कि वक्फ

यदि किरायेदार के खिलाफ बेदखली का मुकदमा वक्फ संपत्ति से संबंधित दायर किया जाता है तो न्यायाधिकरण के पास अधिकार क्षेत्र नहीं है।

(13) एल. आर. (सुप्रा) द्वारा से रमेश गोबिंदराम (मृत) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की भी व्याख्या की, जो वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2013 से पहले मौजूद थे और यह निर्धारित किया कि मकान मालिक और किरायेदार के बीच विवाद में जहां संपत्ति के वक्फ होने या न होने के संबंध में प्रश्न शामिल है, वक्फ न्यायाधिकरण के पास ऐसे मामले से निपटने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।

(14) तथापि, एल. आर. (सुप्रा) द्वारा से फ़सीला एम. (सुप्रा) और रमेश गोबिंदराम (मृत) के मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों को उपरोक्त निर्णयों के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय भारत के सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी हैं। न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों को अधिनियम के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए। एक निर्णय में एकमात्र अनुपात निर्णय बाध्यकारी होता है न कि आज्ञाकारी।

(15) वर्तमान मामले में विवाद मकान मालिक के बीच नहीं है।

1 (2014) 16 एससीसी 38

2 (2010) 8 एस. सी. सी. 726

875

आई. डी. ए. आर. ए. इस्लाम पानीपत और अन्य बनाम हरियाणा वक्फ बोर्ड, अम्बाला कैन्ट। और अन्य (अनिल क्षेत्रपाल, जे.)

और एक किरायेदार और उनकी बेदखली का सवाल शामिल नहीं है। वर्तमान मामले में, वादी वक्फ बोर्ड की कुछ कार्रवाई को चुनौती देते हैं और अधिकारियों द्वारा की गई कुछ कथित अवैधताओं की ओर इशारा करते हैं। अतः, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त दोनों निर्णयों का कोई अनुप्रयोग नहीं होगा।

(16) इसके अलावा, अधिनियम में उपयोग किए गए शब्दों को पूरा अर्थ दिया जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 6 और 7 न्यायाधिकरण की शक्ति से संबंधित हैं। उपरोक्त प्रावधानों को विशेष रूप से पढ़ने पर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायाधिकरण को ऐसी स्थिति में अधिकार क्षेत्र प्राप्त होता है जहां सवाल उठते हैं कि क्या कोई विशेष संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं। हालांकि, खंड 83 में न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान है और उपरोक्त खंड में इस्तेमाल किया गया महत्वपूर्ण शब्द "वक्फ या वक्फ संपत्ति से संबंधित किसी भी विवाद, प्रश्न या अन्य

मामले के निर्धारण के लिए" है। 2013 के अधिनियम No.27 द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 के संशोधन के बाद, जो शब्द जोड़े गए हैं, वे हैं "किसी किरायेदार की बेदखली या ऐसी संपत्ति के पट्टेदार और पट्टेदार के अधिकारों और दायित्व का निर्धारण"। संसद का इरादा वक्फ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करना था। 2013 में संशोधित खंड 83 की उप-खंड 4 में आगे यह प्रावधान किया गया है कि न्यायाधिकरण को अपने क्षेत्रों में विशेषज्ञ वाला बहु-सदस्य न्यायाधिकरण होना चाहिए। अतः, इस न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण में, वक्फ न्यायाधिकरण का अधिकार क्षेत्र केवल उन मामलों तक ही सीमित नहीं हो सकता है जिनमें यह प्रश्न शामिल है कि संपत्ति वक्फ है या नहीं। "वक्फ या वक्फ संपत्ति से संबंधित कोई भी विवाद प्रश्न या अन्य मामला" जो 2013 के संशोधन अधिनियम से पहले भी मौजूद था, इन शब्दों का अर्थ दिया जाना चाहिए।

(17) वक्फ अधिनियम, 1995 की खंड 83 के प्रावधानों की अनदेखी करके, ऊपर चर्चा की गई बातों को ध्यान में रखते हुए, विचारित न्यायाधिकरण में।

(18) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, चुनौती के तहत आदेश को अलग कर दिया जाता है।

(19) पुनरीक्षण याचिका की अनुमति है।

(20) वक्फ अधिनियम, 1995 के तहत गठित वक्फ न्यायाधिकरण को गुण-दोष के आधार पर मामले का फैसला करने का निर्देश दिया जाता है।

डॉ. पायल मेहता

अस्वीकरण स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यन्वयन के उद्देश्य के लिए इसका उपयुक्त रहेगा।

अनुवादक

दिव्या रानी